राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 1515/2013/पाली
अपील संख्या– 1516/2013/पाली

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड चतुर्थ, पाली .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कुरेशी कोल डिपो
मारवाड़ जंक्शन, पाली .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा .....अपीलार्थी की ओर से
उप राजकीय अभिभाषक
श्री महेन्द्र दवे, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 23/04/2018

निर्णय

1. ये अपीलें अपीलार्थी विभाग (जिसे आगे **"अपीलार्थी"** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 1/सीएसटी/पाली/2012–13 एवं 2/आरएसटी/पाली/2012–13 के आदेश दिनांक 05.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं, जिनके द्वारा अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, पाली (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी (जिसे आगे **"प्रत्यर्थी"** कहा जायेगा) के विरूद्ध राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 30, 38, 58 एवं 65 के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2012 में आरोपित की गई मांग राशि को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की गई है। विवादित मांग राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	कर बोर्ड की अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	क.नि.आदेश एवं दिनांक	कर (रू.)	ब्याज (रू.)	शास्ति (रू.)
1	1515/2013/पाली	2/आरएसटी/पाली/12–13	2005–06 16.01.2012	45360	29936	90270
2	1516/2013/पाली	1/सीएसटी/पाली/12–13	2005–06 16.01.2012	3240	2138	6480

निरन्तर.....2

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री निसार अहमद कुरैशी की शिकायत के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2005–06 का कर निर्धारण रि–ओपन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्तानुसार कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया। प्रत्यर्थी के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 25.04.2011 को एकतरफा आदेश पारित किये गये थे। व्यवहारी द्वारा प्रकरण रि–ओपन कराये जाने पर पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही नये सिरे से प्रारम्भ की जाकर उसके विरूद्ध उपरोक्त सारणी में वर्णित कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया।

3. उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश की गई जिनका निस्तारण दिनांक 05.02.2013 को करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया गया है। उक्त अपीलीय आदेश के विरूद्ध राजस्व द्वारा ये अपीलें पेश की गई हैं।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि शिकायत के साथ में जो बिल प्राप्त हुए थे उनका सत्यापन प्रत्यर्थी की लेखा पुस्तकों से नहीं होने पर ही कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। यदि प्रत्यर्थी को इन बिलों के बारे में कोई आपत्ति थी तो उसे यह प्रमाणित करना चाहिए था कि ये उसके द्वारा जारी नहीं किये गये थे । इस सम्बन्ध में वह उसके द्वारा जारी अन्य बिलों की कॉपी तथा रनिंग बिल सिरीयल आदि पेश कर सकता था, जो कि उसने नहीं किया। द्वितीयतः यदि प्रत्यर्थी को शिकायत के साथ प्रस्तुत बिलों की कॉपियाँ फर्जी होने का संदेह था तो उसे शिकायतकर्त्ता के विरूद्ध सक्षम स्तर पर आपराधिक कार्यवाही करनी चाहिए थी। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत किये गये करारोपण के सम्बन्ध में उनका कथन है कि बिलों में बताई गई बिक्री लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं थी, अतः जो आरोपण प्रत्यर्थी के विरूद्ध किया गया है वह पूर्णतः उचित है। उन्होंने अपीलीय आदेश को अपास्त करने तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करने की प्रार्थना की।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि शिकायतकर्ता श्री निसार अहमद कुरेशी अपीलार्थी का छोटा भाई हैं तथा पूर्व में श्री निसार अहमद ही यह व्यवसाय संभालते थे और उन्हीं के द्वारा ही यह व्यवसाय किया जाता था। प्रत्यर्थी कम पढ़ा लिखा है इस कारण लेखा कार्य भी श्री निसार अहमद द्वारा ही किया जाता था। पिछले कुछ वर्षों से प्रत्यर्थी तथा उसके भाई श्री निसार अहमद के मध्य

निरन्तर.....3

सम्पत्ति विवाद को लेकर भारी झगड़ा–फसाद चल रहा है जिसके रंजिशवश श्री निसार अहमद द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध झूठी मनगढ़न्त फर्जी दस्तावेज तैयार कर शिकायत तैयार कर विभाग को प्रेषित की है। प्रत्यर्थी ने दिनांक 26.12.2011 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर उपरोक्त तथ्यों का वर्णन किया तथा साथ ही इन दोनों के मध्य चल रहे फौजदारी मुकदमों की प्रतियां भी प्रस्तुत की।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया कि शिकायत के साथ प्राप्त बिलों के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई जांच या प्रतिपरीक्षण नहीं किया जिससे साबित होता हो कि विवादित बिल वास्तव में प्रत्यर्थी के व्यवसाय से ही सम्बन्धित थे। उन्होंने यह भी जाहिर किया कि प्रत्यर्थी ने शपथ पत्र तथा विवादित बिलों में बताये गये क्रेता व्यवहारियों के प्रमाण पत्र भी पेश कर दिये थे कि उनके द्वारा ऐसे किसी माल की खरीद नहीं की गयी है। इसके आधार पर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए थी तथा इन तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था। उन्होंने आगे यह भी कथन किया कि दोनों भाईयों के बीच चल रहे लिटिगेशन के साक्ष्य दे दिये जाने के उपरान्त भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इनकी अनदेखी की गई। अन्तिमतः उनका यह भी कथन है कि चूंकि विवादित दस्तावेज प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल पर नहीं पाये गये थे तथा किसी शिकायतकर्ता ने विभाग को इन्हें सुपुर्द किया था, अतः **Burden of proof** विभाग पर है कि वह यह साबित करे कि विवादित दस्तावेज प्रत्यर्थी के व्यवसाय से ही सम्बन्धित है। अपने इन कथनों की निरन्तरता में उन्होंने प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के साथ में कुछ बिलों की प्रतियां दी गई थीं जिनका सत्यापन उसकी लेखा पुस्तकों से नहीं पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित बिलों में वर्णित क्रेताओं से कोई पूछताछ नहीं की गई है जबकि प्रत्यर्थी द्वारा यह निरन्तर निवेदन किया जा रहा था कि उसके भाई ने रंजिशवश झूठे ही ये बिल बनाकर विभाग को भेज दिये तथा इनमें वर्णित क्रेताओं के प्रमाण पत्र भी प्रत्यर्थी ने पेश किये थे, जिनका

निरन्तर.....4

कर निर्धारण अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को भी कई बार सम्मन जारी कर शिकायत के तथ्यों की पुष्टि हेतु तलब किया गया था, परन्तु वह कभी भी इस हेतु उपस्थित नहीं हुआ। इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं शिकायतकर्ता श्री निसार अहमद कुरेशी के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में की गई कार्यवाही के दस्तावेजों के क्रम में अपीलीय अधिकारी जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वह उचित प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी तथा शिकायतकर्ता एक दूसरे से रंजिश रखते हैं तथा उनमें प्रत्यक्षतः कोई गम्भीर विवाद है, अतः की गई शिकायत झूठी प्रतीत होती है।

8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखने पर अपीलीय आदेश उचित एवं विधिसम्मत पाया जाता है, लिहाजा इसकी पुष्टि की जाती है तथा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

9. निर्णय सुनाया गया।

23.04.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य